59

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2012

G.S.R. 245.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Reserve Engineer Force Group 'B' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the post of Chief Draughtsman, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Draughtsman, in the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Chief Draughtsman, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale .—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Draughtsman	2*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800+ Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion :** Senior Druaghtsman in pay band-2 in the scale of Pay Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and has passed the Auto CAD course of not less than four weeks duration at General Reserve Engineer Force Centre or any other Institute specified by Directorate General Border Roads. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their serniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Secretary, Border Roads Development Board —Chairman 2. Deputy Director General (Personnel) of Directorate General Border Roads —Member 3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. BRDB/01/103/CDM/2009/GE-I(PC-01)]

RAMPAL SINGH, Under Secy.

MGIPRRND—3818 RT&H/12—100 Copies.

58

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1498—1502

Dated 6-10-2012

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास मंडल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 245.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण रिजर्व इंजीनियर बल, समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उसका संबंध मुख्य नक्शानवीस के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) में मुख्य प्रारूपकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) मुख्य प्रारूपकार, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य प्रारूपकार	2* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे ज्येष्ठ प्रारूपकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित या सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्थान से कम से कम चार सप्ताह की अवधि का ऑटो कैड पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल —अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय —सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/103/सी.डी.एम./2009/जीई-I (पी.सी.-01)]

रामपाल सिंह, अवर सचिव